न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

आज्ञा – पत्र

उनवान

मोकमसिंह बनाम यशवंत सिंह

किस्म मुकदमा धारा 223 मि० नं० 32/2017 सन्

अभिभाषक अपीलान्ट श्री ईश्वरचन्द अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
5-2-2021	पत्रावली कोर्ट कैम्प आलावा पेश हुई। अभिभाषक अपीलांट अनुपस्थित है। बार-बार रुक-रुक कर आवाजें लगवाई गई कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। अतः अपील अपीलांट अदम हाजरी एवं अदम तकमील में खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील एवं तकमील दाखिल दफ्तर हो। (महेन्द्र लोढा) भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा (राज.)	

श्री शिवशंकर शर्मा एड. द्वारा पेश की / बाद जॉच रिपोर्ट होकर पेश हो

(भागवन्ती जेठवानी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज०) 30/11/16

COURT FEE 10 Rs. INDIA दस रुपए TEN RUPEES

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय, कोटा

संख्या /2016

भैरूसिंह आत्मज बापूलाल जाति राजपूत निवासी बकानीखुर्द तहसील पचपहाड जिला झालावाड — अपीलान्ट

बनाम

1— यशवन्तसिंह आत्मज सज्जनसिंह जाति राजपूत निवासी बकानीखुर्द हाल रतलाम
2— श्रीमती स्नेहलता बेवा सज्जनसिंह गहलोत जाति राजपूत निवासी बकानीखुर्द हाल रतलाम
3— श्रीमती साधना पुत्री सज्जनसिंह पत्नी लालसिंह जाति राजपूत निवासी रतलाम
4— जुझारसिंह आत्मज बापूसिंह जाति राजपूत निवासी नागदा
5— श्रीमती कृष्णाकंवर पत्नी जुझारसिंह जाति राजपूत निवासी नागदा
6— श्रीमती हंसरकवर पुत्री बापूसिंह जाति राजपूत निवासी बकानीखुर्द
7— श्रीमती एजनकवर पुत्री बापूसिंह जाति राजपूत निवासी बकानीखुर्द
8— श्रीमती नगनकवर पुत्री बापूसिंह जाति राजपूत निवासी बकानीखुर्द
9— श्रीमती कृष्णाकंवर पुत्री बापूसिंह जाति राजपूत निवासी बकानीखुर्द तहसील पचपहाड जिला झालावाड
10— सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील पचपहाड

— रेस्पोन्डेन्टस

अपील बनाराजगी निर्णय व डिक्री उपखण्ड अधिकारी महोदय, भवानीमण्डी जो उन्होनें प्रकरण संख्या 94/2016 दिनांक 13.10.2016 को प्रदान किया।

मान्यवर,

अपील अन्य के अतिरिक्त निम्न आधारों पर उचित न्याय शुल्क पर अन्दर अवधि श्रीमान् के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार में विधिवत प्रस्तुत है।

1— यहकि आलोच्य निर्णय व डिक्री अधीनस्थ न्यायालय कानून, न्याय एवं पत्र संग्रह सार के आधार पर निरस्त होने योग्य हैं।
2— यहकि वादग्रस्त आराजी पर वादी का कब्जा काश्त पूर्ण रूप से प्रमाणित होने के बाद भी स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री पारित नही कर कानूनी भूल की हैं।
3— यहकि प्रतिवादीगण रेस्पोन्डेन्टस ने वादी अपीलान्ट के कब्जे काश्त को चुनौती नही दी है तथा वादी अपीलान्ट द्वारा शपथ पर दिये गये बयानों का भी खण्डन नही किया है। वादी अपीलान्ट के गवाहान को नही मानने का भी कोई कारण नही है।
4— यहकि अन्य आक्षेप बवक्त बहस निवेदन किये जावेगें।